वर्ष-6 अंक : 70

सहयोग शुल्क : रु. 1 /अक्टूबर: 2022

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री सदगुरु ॐऋषि स्वामी

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

"दिव्यांगजन अधिनियम 2016 दिव्यांगजनों के अधिकारों की नींव है "

(संतश्री सद्गुरु ॐऋषि स्वामी)

"दिव्यांगजन अधिनियम 2016 दिव्यांगजनों के जीवन परिवर्तन का वाहक है "

(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी)

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेब्रलपाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटी से असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदनपत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाणपत्र/दस्तावेज

सिविल सर्जन का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाणपत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाणपत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

दिव्यांगजनों के लिए समय समय पर विभिन्न कानूनो का निर्माण हुआ और उसे पारित कर दिव्यांगजनों के जीवन को सरल बनाने की दिशा में कार्य किया गया है । किंतु दिव्यांगजन अधिनियम 2016 ने दिव्यांगजनों के लिए बनाये गये सभी कानूनों से आगे निकालकर दिव्यांगजनों के जीवन को अधिक सरल, सुखमय और स्वतंत्र बनाने की दिशा में आमूल परिवर्तन के वाहक का कार्य किया है ।

दिव्यागजन अधिनियम 2016 के द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारो में भारी परिवर्तन लाया गया है । इस अधिनियम को दिव्यांगजन के अधिकारों के यू.एन, कन्वेंशन के अनुरुप भारतीय कानून बनाने के लिए अधिनियिमित किया गया है। इसके द्वारा गरिमा, वैयक्तिक स्वतंत्रता, (तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पसंद चुन सकता है), विभेद रहित तथा सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत को मूर्त रुप दिया गया है ।

दिव्यांगजन अधिनियम 2016 दिव्यांगजनों को देश के अन्य नागरिकों की तरह स्वतंत्रता, समानता और सम्मान प्रदान करता है । यह कानून सरकारों को दिवायगजनों के लिए किये जानेवाले कार्यों के लिए सही दिशा बताने का कार्य करता है । दिव्यांगजनों को केवल दया के पात्र न मानकर समाज में सम्मान के साथ उन्हें उनके विशेष अधिकार देने की बात करनेवाला यह कानून सभी दिव्यांगजनों के लिए के लिए उनका जीवन बदलने वाला एक मजबूत कानून है । सभी सरकारें इसका सही पालन करेगी तो दिव्यांगों को उनके सारे अधिकार सरलता से प्राप्त होंगे और वे समाज में सम्मान और गौरव के साथ जीवन यापन कर पायेंगे ।

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

अक्टूबर - 2022, पृष्ठ संख्या - 16

वर्ष - 6 अंक - 70

✦ प्रेरणास्त्रोत और संपादक ✦

संतश्री सद्गुरु ॐऋषि स्वामी

✦ सह-संपादक ✦

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

✦ संपर्क-सूत्र ✦

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००७

(मो.) 99749 55365, 9974955125

✦ मुद्रक ✦

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

देश में पहली बार 2001 की जनगणा में दिव्यांगजनों की गणना की गई किन्तु यह जनगणना अनुमान से कम रही, क्योंकि कुछ ही लोगों की वास्तविक दिव्यांगता को इसमें लिया गया । फिर भी दिव्यांगजनों को एक पृथक श्रेणी माने जाने की यह शुरुआत थी, जिसको कि अपनी विशेष आवश्यकताओं के कारण अधिकारों की आवश्यकता है । मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के पारित किए जाने से और 1986 में भारतीय पुनर्वास परिषद के गठन से इस स्थिति में सुधार हुआ । वर्ष 1995 में संसद ने विकलांग व्यक्ति अधिनियम पारित किया जिसमें आरंभिक कारण पता लगाने, शिक्षा, नियोजन सकारात्मक कार्यवाही, विभेद न करने, बाधारहित पहुंच से संबंधित उपबंध किए गए । इससे दिव्यांगजन अधिकार आंदोलन को अत्याधिक बल मिला । अनेक वर्षों तक इसके बारे में बातचीत करने के बाद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पारित हुआ है, जिसके द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारो में भारी परिवर्तन लाया गया है । इस अधिनियम को दिव्यांगजन के अधिकारों के यू.एन, कन्वेंशन के अनुरुप भारतीय कानून बनाने के लिए अधिनियिमित किया गया है । इसके द्वारा गरिमा, वैयक्तिक स्वतंत्रता, (तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पसंद चुन सकता है), विभेद रहित तथा सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत को मूर्त रुप दिया गया है ।

वोइस टू दिव्यांग

समानता और विभेद

अधिनियम के द्वारा सरकार का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिव्यांग व्यक्ति को समानता का अधिकार है और उसके साथ सम्मानजनक ढंग से व्यवहार किया जाना है । यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें दिव्यांगजनों की क्षमताओं का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सके । अधिनियम में दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद को रोका गया है, सिवाय इसके कि जहां किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए ऐसा करना अनिवार्य रुप से अपेक्षित न हो इसके साथ डी प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है जिसे उसकी दिव्यांगता के आधार पर इंकार नहीं किया जा सकता ।

सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि वह दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के आधार पर उपांतरण और समायोजन करे जिससे कि उन्हें प्राप्त सभी सुविधाओं तक उनकी पहूंच हो सके ।

वोइस टू दिव्यांग

1. दिव्यांग महिलाएँ और बालक

महिलाओं की समाज में सबसे नाजुक स्थिति है और इस पर यदि वह दिव्यांग है तो उसका कष्ट और भी बढ़ जाता है और इससे उनके अधिक दुरुपयोग, दुर्व्यवहार और उका परित्याग किए जाने की संभावना रहती है । इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं के समान ही अधिकार दिए गए हैं ।

इसी तरह दिव्यांग बालक ऐसी स्थिति में रहते हैं जहां वे स्वयं की आवश्यकताओं से अनभिज्ञ रहते हैं और इस कारण उनकी राय को कोई महत्व नहीं दिया जाता । यह अधिनियम उन्हें अपनी राय स्वयं से संबधित मामलों में खुलकर प्रकट करने का अधिकार देता है । इससे यह बात सुनिश्वित हो जाती है कि उनके कल्याण को प्रभावित करनेवाली किसी कार्यवाही अथवा प्रयास में उनकी बात सुनी जाएगी और उनकी भागीदारी होगी तथा उस पर प्रभावी नियंत्रण लिया जा सकेगा ।

2. सामुदायिक जीवन

एक दिव्यांगजन के लिए सुगम्यता, सहायक उपकरणों, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सहायता, स्वास्थ्य रक्षा और समान अवसरों के अभाव में स्वतंत्र रहना मुश्किल हो जाता है । इसके परिणाम स्वरुप वे कुटुंम्ब पर वितीय रुप से अथवा अन्यथा एक भार बन जाते हैं । इन कारणों से कुटुम्ब के लोग दिव्यांगजन का परित्याग कर देते हैं । इसके परिणाम स्वरुप दिव्यांगजन संस्थाओं को अपना अंतिम आश्रय स्थल बना लेते हैं क्योंकि उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं होता है । इसके अतिरिक्त अनुकूल पर्यावरण न मिलने पर भी कुटुम्ब के हस्तक्षेप के बिना भी दिव्यांगजन इन संस्थाओ में आ जाते हैं । अधिनियम के अनुसार प्रत्येक दिव्यांगजन का यह अधिकार है कि वह समाज के बीच में रहे और उसे यह महसूस करने के लिए बाध्य न होना पडे कि वह किसी दूसरी तरह की व्यवस्था के अंदर रह रहा है । इसे संभव बनाने के लिए सरकार का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्वित करे कि दिव्यांगजनों के लिए समस्त, किसी भी गृह, आवासीय, सामुदायिक आधारित सेवाओं तक पहूंचना संभव हो । इसका तात्पर्य यह है कि चलन संबंधी दिव्यांगता वालों के लिए व्हीलचेयर जैसे सहायक उपकरण , श्राव्य उपकरण, कृत्रिम अंग, व्यक्तिगत देखरेख सहायता उपलब्ध कराकर आवासीय अथवा सार्वजनिक स्थान तक उनकी पहुंच होनी चाहिए । सामुदायिक सहायता सेवाओं में स्वास्थ्य रक्षा, अस्पतालों-स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुंच, मनोविज्ञानी, मनोचिकित्सक, मानसिक रोगीयो के लिए परामर्शदाता और बालकों के लिए दैनिक जीवन से संबंधित कार्यकलापों को सीखने के लिए प्रशिक्षक उपलब्ध कराना है ।

वोइस टू दिव्यांग

दिव्यांगजन का समाज से जुडे रहने का अधिकार है उसे अपना निवास स्थान चुनने, कब और कहां रहना है उसकी स्वतंत्रता है । सामुदायिक सहायक सेवा शब्दों से अभिप्राय उन सभी सेवाओं से है जिनसे समाज से एकाकीकरण अथवा पृथकता को रोका जा सकता है । ऐसी सभी सेवाएं और सुविधाएं जो सामान्यजन को उपलब्ध है वे दिव्यांगजनों के लिए भी उपलब्ध हों और वे उनकी आवश्कताओं के अनुरुप हो । जैसे सभी बाजार, आमोद-प्रमोद के स्थान, सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच होनी चाहिए ।

3.

क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षण

अधिनियम में दिव्यांगजनों को प्रताडना, क्रूरता, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार जिससे किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहूंचना अतवा जिसके कारण अवमानना होती हो, से संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है । ऐतिहासिक द्रष्टि से दिव्यांगजनों को ऐसे आघात योग्य वर्ग के रुप में देखा जाता है, जिसकी न तो स्वायत्तता की भावना होती है अथवा वह अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता नहीं रखता है । यही कारण है कि उन्हें उनकी जानकारी के बिना अनुसंधान का विषय बनाया जाता है । इस अधिनियम में इस प्रकार का व्यवहार निषेध किया गया है इसमें कहा गया है कि कोई भी दिव्यांगजन उसकी सहमति के जिसे पहुंच माध्यमों से प्राप्त करना होगा, के बिना इस प्रकार के व्यवहार का भाग नहीं बन सकता । इसके साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में यह कहा गया है कि कोई दिव्यांगजन किसी अनुसंधान का विषय नहीं होगा सिवाय तब जब अनुसंधान में उसके शरीर पर भौतिक प्रभाव अंतर्वलित हो ।

किसी भी दिव्यांगजन पर कुछ अनुसंधान करने से पूर्व विषय के रुप में तीन शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है

1. अनुसंधान में उसके शरीर पर कुछ भौतिक प्रभाव अंतर्विलित है ।
2. पहुंच माध्यमों के माध्यम से (जिसके द्वारा दिव्यांगजन अपनी बात कह सके) उसकी सहमति प्राप्त करना ।
3. दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए समिति की पूर्व अनुमति प्राप्त करना ।

इस समिति का गठन सरकार द्वारा किया जाता है । समिति में आधे अथवा आधे से ज्यादा सदस्य दिव्यांगजन अथवा दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत रजिस्ट्रीकृत संगठनों के सदस्य होगे ।

वोइस टू दिव्यांग

4.

दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण

दिव्यांगजनों के आघात योग्य होने और दूसरों पर निर्भर रहने के कारण वे दुरुपयोग, हिंसा और शोषण के शिकार हो जाते हैं । दुरुपयोग, हिंसा और दुर्व्यवहार से संरक्षण सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार के उपर रखा गया है ।

अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार यह सुनिश्वत करने के लिए एक तंत्र बनायेगी जो दिव्यांगजनों के दुरुपयोग, हिंसा और शोषण की स्थिति में प्रत्येक स्तर पर उनके बचाव के लिए सामने आएगा । दूसरा कदम लोगो को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक करना है जिससे कि दुरुपयोग की घटनाओं को रोका जा सके और यदि ऐसी घटनाएं घटित होती है तो उन घटनाओं की रीपोर्ट करने की प्रक्रिया विहित करना । यह सरकार का दायित्व होगा कि वह इस प्रकार की घटनाओं का संज्ञान लें और उनके लिए विधिक उपचार प्रदान करे । अगले कदम में लोगों का बचाव, संरक्षण और ऐसे दुरुपयोग पीडितों का पुनर्वास करना सम्मिलित है ।

राज्य पार्टियों को यह सुनिश्वित करना है कि संरक्षण सेवायें आयु, लिंग और दिव्यांगता के प्रति संवेदनशील हों और यह भी कि इन सेवाओं पर स्वतंत्र प्रधिकरणों द्वारा निगरानी रखी जाए । दिव्यांगजन किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार हो तो उसका शारीरिक, मनोवैज्ञानिक उपचार और पुनर्वास राज्य द्वारा किया जाएगा ।

वोइस टू दिव्यांग

दिव्यांगजनों के दुरुपयोग, हिसा और शोषण से संरक्षण के लए सरकार के अनुपालन हेतु तंत्र

इस अधिनियम में लोगों और रजिस्ट्रीकृत संगठनों को यह शक्ति दी गई है कि वे दिव्यांगजनों के प्रति हो रहे अथवा संभवित दुरुपयोग अथवा हिंसा के लिए अपनी आवाज उठा सके । ऐसी किसी भी स्थिति में एक व्यक्ति अथवा संगठनों को उस कार्यपालक मेजिस्ट्रेट को जिसके अधिकार क्षेत्र में घटना घटित हुई हो जानकारी देनी होगी । कार्यपालक मेजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और उनके स्थानीय अधिकार क्षेत्र (वह क्षेत्र जिसमें वह अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है) का निर्धारण जिला मेजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है । ऐसी स्थिति में कार्यपालक मेजिस्ट्रेट को दुरुपयोग की घटना न होने देने अथवा रोकने के लिए तत्काल कम उठाने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त वह कोइ भी अन्य आदेश पारित कर सकता है ।

अधिनियम में पुलिस अधिकारियों को यह दायित्व दिया गया है कि वह दुरुपयोग अथवा हिंसा की शिकायत मिलते ही अथवा उसकी जानकारी पाते ही उस पर कार्र्वाई करे । ऐसे पुलिस अधिकारी का यह मुख्य दायित्व होगा कि वह दुरुपयोग से पीडित व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे । उस व्यक्ति को यह बताया जाना चाहिए कि कार्यपालक मेजिस्ट्रेट को लिखित में दे कर संरक्षण पाने का उसका अधिकार है और उसे उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट का विवरण भी दिया जाना होगा जिसके पास वह शिकायत दर्ज कर सके, और उस व्यक्ति को सहायता प्रदान करना किसके अधिकार क्षेत्र में है । पुलिस अधिकारी को प्रभावित व्यक्ति को दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रहे नजदीकी संगठन अथवा संस्थाओ का ब्यौरा भी देना होगा और यह तथ्य भी कि उसे राष्ट्रीय अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है । उस व्यक्ति को यह भी बताना होगा कि उसे अधिनियम के अंतर्गत अथवा अपराध से संबंधित किसी भी विधि के अंतर्गत शिकायत दायर करने का अधिकार है । जब कोई संज्ञेय अपराध हो रहा हो अथवा किया गया हो तो पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विधि के अनुसार काम करे केवल इस अधिनियम के अनुसार नहीं । संज्ञेय अपराध वे अपराध है जो गंभीर प्रकृति के है जैसे हत्या, रेप, दहेज हत्या, अपहरण, चोरी और अप्राकृतिक अपराध । दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार पुलिस अधिकारी के प्रथम सूचना रीपोर्ट प्राप्त की होने पर वह इस प्रकार के अपराध की जांच मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना कर सकता है । वह बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है-कर सकती है ।

वोइस टू दिव्यांग

5. संरक्षण और सुरक्षा

अधिनियम में दिव्यांगजनों के लिए जोखिम, सशस्त्र संघर्ष (समुदायों-देशों के मध्य युद्ध) मानवीय आपात स्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं की दशा में संरक्षण और सुरक्षा हेतु विशेष उपबंध किए गए हैं । मानवीय आपात स्थिति से तात्पर्य ऐसी एकल घटना-घटनाओं की श्रृंखला से हैं जो एक समुदाय अथवा एक वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा अथवा कल्याण के लिए खतरा उत्पन्न करते हों । ऐसी स्थिति में दिव्यांगजनों के लिए विशेष संरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी अनदेखी की संभावना रहती है । दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह सुनिश्चित करें कि आपदा से संबंधित स्थितियों से निपटने के लिए किए गए कार्यकलापों में दिव्यांगजनों को सम्मिलित किया गया है । इस कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि दिव्यांगजनों का अभिलेख रखा जाए । पुनर्निमाण कार्य दिव्यांगजनों की आवश्यकता के अनुरुप पुरा करना सुनिश्चित करने के लिए पहुंच संबंधी मानकों को अपनाया जाना होना कि पुनर्निर्माण के सभी कार्यों को राज्य आयुक्त से परामर्श करके करना होगा । आपदा प्रबंधन दल को आपदा तैयारी, बचाव और पुनर्वास के दौरान दिव्यांगजनों के लिए अपेक्षित विभिन्न युतियुक्त आवासन उपायों के संबंध में प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है ।

6. गृह और कुटुम्ब

इस अधिनियम में दिव्यांग बालकों के लिए कुछ विशेष अधिकार बनाए गए हैं । उनमें से एक है कि प्रत्येक बालक को अपने अभिभावक के साथ रहने का अधिकार है और उन्हें केवल दिव्यांगता के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यायालय उस बालक के लिए बालक की खुशी, सुरक्षा, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए दूसरे विकल्प के रुप में कोई आदेश नहीं देता । दिव्यांग बालक को दूसरी जगह रखे जाने के संबंध में निम्नलिखित विकल्प में वरियता को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

(1) नजदीकी नातेदार (जब अभिभावक बालक की देखभाल करने में असमर्थ हो ।

(2) कौटुम्बिक परिवेश में समुदाय में

(3) सरकारी या गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आश्रय स्थल (आपवादात्मक परिस्थितियों में अंतिम समाधान के रुप में जब कोई अन्य विकल्प संभव न हो)

इस विचार को महत्व देते हुए इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि बालक के विकास के लिए सर्वोत्तम पर्यावरण उसके कुटुंब में मिल सकता है और यदि यह संभव नहीं है तो उसे सामुदायिक व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाए, किसी संस्था में नहीं ।

दिव्यांगजनों के अधिकारों संबधी यूएन कन्वेशन में उनके घर और कुटुंब के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए हैं । उसमें कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व होगा कि दिव्यांगजनों के साथ विवाह, पितृत्व और रिश्तेदारी संबंधित मामलों में किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसमें इस बात को मान्यता दी गई है कि समस्त दिव्यांगजनों को जो विवाह योग्य आयु है और आशायित पति-पत्नी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से परिवार बनाने का अधिकार होगा ।

परिवार नियोजन

प्रजनन अधिकार

इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि यह सरकार का दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिव्यांगजन की प्रजनन और परिवार नियोजन के बारे में समुचित जानकारी तक पहुंच हो ।

संस्थानों के अंदर विशेष रुप से जो मानसिक और बौध्धिक दिव्यांग है यह सामान्य प्रक्रिया है कि महिलाओं का गर्भाशय साफ-सफाई और अनुरक्षण के नाम पर निकाल दिया जाता है । इस प्रकार के व्यवहार का उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वे जीवन भर गर्भधारण नहीं कर सकते । यह अधिनियम इस प्रकार की किसी भी चिकित्सकीय प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं किया जाएगा, जिससे उसकी स्वतंत्र और संसूचित सहमति के बिना बांझपन होता है ।

दिव्यांगजनों के अधिकारों संबंधी यू.एन कन्वेशन में यह व्यवस्था है कि दिव्यांगजनों को यह अधिकार होगा कि वे अपने बच्चों के जन्म में अंतर का निर्णय कर सकें और अपनी उम्र के अनुसार उनके पास प्रजनन और परिवार नियोजन की पूरी जानकारी होनी चाहिए ।

वोइस टू दिव्यांग

7. न्याय तक पहुंच

यह अधिनियम कहता है कि न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण आयोग या कोई अन्य न्यायिक अर्ध न्यायिक अथवा अन्वेषण की शक्तियां रखनेवाले निकाय तक पहुंच में दिव्यांगता आडे नहीं आनी चाहिए । इसका तात्पर्य है कि दिव्यांगों के साथ न्याय प्राप्ति के लिए कोई विभेद नहीं होना चाहिए । दिव्यांजनों के न्यायालयों में पहुंच के लिए सरकार द्वारा समान रुप से सहायता उपाय किए जाने होंगे जिससे कि कुटुम्ब से बाहर रहनेवाले लोग और उन्हें जिन्हें उच्च सहायता कि आवश्यकता है वे अपने न्यायिक अधिकारों का उपयोग कर सके ।

राष्ट्रीय और राज्य विधि सेवा प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है कि वे जो भी स्कीम, कार्यक्रम, सुविधा अथवा सेवा प्रदान करते हैं वे सभी दिव्यांगजन की पहुंच में हो ।

अधिनियम कहता है कि सभी लोक दस्तावेज सुगम रुप विधान में होंगे । मतदाता सूची, , जनगणना रिपोर्ट, नगर आयोजन रिपोर्ट, ग्राम अभिलेख राष्ट्रीयकृत बैंको के अभिलेख, जन्म और मृत्यु रजिस्टर लोक दस्तावेज हैं । न्यायालय के ऐसे सभी विभाग-कार्यालय जहां पर दस्तावेज फाइल किए जाएं रजिस्टर किए जाएं अथवा भंडार किए जाएं उनमें ऐसे उपस्कर है जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुगम रुप विधानों में फाइल करने, स्टोर करने और निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया है । इससे यह अभिप्रेत है कि द्रश्य-श्राव्य दिव्यांगो के लिए सभी दस्तावेज श्रवण - ब्रेल रुप विधान में सुगम होंगे ।

दिव्यांगजनों के अधिकार संबंधी यूएन कन्वेशन में दिव्यांगो के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में अधिकारों की व्यापक रुप से व्याख्या की गई है और उसमें कहा गया है कि किसी भी दिव्यांगजन को राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अधिकार होगा उसे केवल मतदान करने का अधिकार नहीं होगा । उसका निर्वाचित होने का अधिकार भी होगा । इसका तात्पर्य है कि चुनावों में गुप्त मतदान तथा डराये धमकाए बिना दिव्यांगजनों को मतदान करने तथा चुनावों में खड़े होने का और पदभार संभालने सभी सार्वजनिक कार्य करने का अधिकार है । जहां कहीं आवश्यक हो सहायक प्रोद्योगिकी (भाषांतरण, संकेत भाषा, श्रव्य, द्रश्य उपकरणों) का उपयोग किया जा सकता है ।

8. नियोजन में विभेद न करना

यह अधिनियम सरकारी स्थापनों को नियोजन से संबंधित किसी मामले में दिव्यांगजनों के विरुद्ध उसकी दिव्यांगता के आधार पर विभेद न करने से तब तक रोकता है जब तक कि सरकार अधिसूचना द्वारा यह न बताए कि उस सथापन को उसके काम के प्रकार से ऐसा करने की छूट न दी गई हो ।

सरकार के सभी स्थापनों के भीतर उपयुक्त परिवर्तन और समायोजन किए जाने होंगे जिससे कि दिव्यांगजन भी अन्य के समान सरलतापूर्वक अपना कार्य करने में सक्षम हो सके । कार्यस्थल का वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार की बाधा (चाहे भौतिक, संप्रेषणात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय संस्थागत राजनैतिक, सामाजिक, प्रवृत्तिमूलक) बाधा न हो ।

दिव्यांगता के आधार पर किसी की भी प्रोन्नति रोकी नहीं जा सकती । यदि एक व्यक्ति सेवा के दौरान दुर्घटना के कारण अथवा किसी अन्य कारण से दिव्यांग हो जाता है तो उसे किसी भी सरकारी स्थापन का पद से अभिमुक्त करने अथवा उसका रैंक कम करने का अधिकार नहीं होगा ।

यदि कोई कर्मचारी उस कार्य को करने के योग्य नहीं रह गया है जिसे वह वर्तमान में कर रहा था तो उसे समान वेतन और सेवा के फायदों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जाएगा यदि उस कर्मचारी को किसी अन्य पद पर स्थानांतरित करना संभव न हो तो उसे तब तक जब तक कि उपयुक्त पद उपलब्ध नहीं होता तब तक इस प्रयोजन हेतु अपेक्षित संख्या से अधिक पद सृजित अथवा बनाकर रखा जाना होगा । दूसरे विकल्प के रुप में उसे तब तक सेवा में बनाये रखना होगा जब तक कि उसकी आयु स्थापन से पेंशन प्राप्त करने की नहीं हो जाती ।

वोइस टू दिव्यांग

9. समान अवसर नीति

सरकारी और प्राइवेट दोनों के स्थापनों को समान अवसर नीति अधिसूचित करनी होगी जिसमें यह भी सम्मिलित करना कि दिव्यांगजनों के नियोजन के समर्थन में उन्होंने क्या उपाय करने का निर्णय लिया है । इस नीति की एक प्रति मुख्य आयुक्त अथवा राज्य आयुक्त के पास रजिस्टर करानी होगी । इस नीति को वेबसाइट पर डालना होगा तथा इसे कार्यालय में ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करना होगा जहां यह कार्यालय में काम करनेवाले कर्मचारियों को स्पष्ट दिखाइ दे और उनका ध्यान आकृष्ट कर सके । एक संस्था जिसमें कर्मचारियों की संख्या 20 से कम है वहां पर समान अवसर नीति में दिव्यांगजनों को उपलब्ध सुविधाओं और प्रसुविधाओं का ब्यौरा देना होगा, किंतु जहां 20 अथवा उसेस अधिक कर्मचारी है अथवा सरकारी संस्था में भी दिव्यांगजन अधिकारी नियमों के अंतर्गत कुछ अनिवार्यताएं होनी चाहिए जो इस प्रकार है:

(1) दिव्यांगजनों को दी जानेवाली सुविधाएं जिससे कि वे अपना काम सुचारु रुप से कर सके ।

(2) स्थापन में दिव्यांगजनों के लिए चयन किए गए पदों की सूची ।

(3) किन-किन सहायक उपकरणों को उपलब्ध कराया जा रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया है कि दिव्यांगजन के लिए अपने कार्यस्थल के आसपास और भीतर पहुंचना और चलना सुगम होगा ।

(4) विभिन्न पदों के लिए दिव्यांगजनों का चयन किस विधि से किया जाएगा भर्ती के बाद नए पद पर प्रोन्नाति से पहले उनका प्रशिक्षण, स्थानांतरण अथवा पदस्थापन पर उन्हें दी जानेवाली वरीयताए विशेष छूट्टी तथा रिहायशी आवासन के आबंटन में दी जानेवाली प्राथमिकता।

(5) नीति में दिव्यांगजनों की भर्ती के प्रयोजन हेतु संपर्क अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में भी उल्लेख हो ।

अभिलेखों का अनुरक्षण

यह अनिवार्य बनाया गया है कि वे दिव्यांगजनों के नियोजन, उन्हें दी गई सुविधाओं और उन विभिन्न उपायों का जिनके द्वारा स्थापन ने, दिव्यांगजनों के कौशल विकास और नियोजन से संबंधित उपबंध का पालन करने का निर्णय किया है, का अभिलेख करना होगा । अभिलेखों के अनुरक्षण में निम्नलिखित जानकारी देनी होगी

(1) नियोजित किए गए दिव्यांगजनों की संख्या और उन्हें किस तारीख से नियोजित किया गया ।

(2) दिव्यांगजन का नाम, लिंग और पता ।

(3) ऐसे व्यक्तियों की दिव्यांगता का स्वरुप

(4) ऐसे नियोजित दिव्यांगजन द्वारा किए जा रहे कार्य का स्वरुप

(5) ऐसे दिव्यांगजन को दी जा रही सुविधाओं का प्रकार

रोजगार कार्यालयों के लिए यह अपेक्षित है कि ऐसे दिव्यांगजनों के अभिलेखों का अनुरक्षण करें जो नियोजन की तलाश में हो । स्थापनों द्वारा अनुरक्षित अभिलेख सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के निरीक्षण के लिए सभी युक्तिसंगत अवसरों पर निरीक्षण के लिए अथवा इस जांच के लिए उपलब्ध रहेंगे कि क्या अधिनियम के उपबंधो का पालन किया जा रहा है ।

10. सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद-प्रमोद

यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है कि जो लोग दिव्यांग है उनका जीवन स्तर उच्च कोटि का हो जिससे वे स्वतंत्र जीवन जी सकें अथवा समुदाय के बीच रह सकें । इस अधिनियम में विशेष रुप से यह आदेश दिया गया है कि हर स्कीम के अधीन दिव्यांगजन को दी गई सहायता अन्य लोगों को दी जानेवाली सहायता से 25 प्रतिशत अधिक होगी । ऐसा उपबंध करने का तात्पर्य यह है कि दिव्यांगजनों की निर्वाह लागत किसी अन्य व्यक्ति से सदैव अधिक रहती है । उन्हें चिकित्सा स्वास्थ्य देखरेख, सहायक उपकरणों, पहुंच संबंधी अभावों को पार करने के लिए सहायता और स्वास्थ्य रक्षा आदि पर अतिरिक्त लागत वहन करनी पडती है ।

अधिनियम में इस बात का समर्थन किया गया है कि उन बालकों और वयस्कों के लिए जिनका उनके कुटुम्ब द्वारा परित्याग किया गया है तथा जिनके पास आश्रय स्थल अथवा जीवन निर्वाह का साधन नहीं है उनके लिए सहायता स्कीमों में सामुदायिक केन्द्रों को सम्मिलित किया जाना होगा और वहां पर सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा और परामर्शदाता सुविधाओं के साथ -अच्छी रहन सहन की स्थिति हो । दिव्यांगजनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की आपदाओं में और संघर्ष की स्थिति वाले क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जानी होगी ।महिलाओं को उनके जीवन निर्वाह के लिए और बच्चों के भरण पोषण के लिए वित्तीय अथवा अन्य सहायता प्रदान करनी होगी । दिव्यांगजनों को पहुंच में पीने का स्वच्छ पानी और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सफाई संबंधी सुविधाएं हो । उच्च् सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों के लिए व्यापक बीमा, देख रेख भत्ता सुविधाएं जैसे दवाइयां, सहायता और साधित्र, चिकित्सीय और नैदानिक सेवायें तथा दिव्यांगजनों के लिए सुधारात्मक श्रव्य क्रियायें (अधिकतम आय-सीमा पर) उपलब्ध कराने का प्रावधान है ।

11. स्वास्थ्य देख रेख

सरकार को यह भी दायित्व दिया गया है कि वह दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य की रक्षा करे और उसमें अभिवृद्धि सुनिश्चित करे । सरकार द्वारा दिव्यांगता की रोकथाम के लिए भी कदम उठाने होंगे । दिव्यांगजनों की पहुंच सरकारी अथवा प्राइवेट अस्पतालों के हर भाग तक बिवा किसी बाधा के होनी चाहिए । बिल्डिंग तक पहुंच सुगम होनी चाहिए । स्वास्थ्य देख रेख संबंधी लागत इस प्रकार की होनी चाहिए कि दिव्यांगजन उसे वहन कर सकें । जब कोइ दिव्यांगजन अस्पताल जाए तो उसकी परिचर्या और उपचार में पूर्विकता बरती जानी चाहिए । अस्पतालों को दिव्यांगजनों के लिए अलग लाइनों की व्यवस्था करनी चाहिए और रोगियों की लाइन में पहले उनका उपचार करना चाहिए ।

सरकार को दो तरीकों से दिव्यांगता निरोधात्मक उपाय करने का दायित्व दिया गया है - जागरुकता लाकर और उन्हें प्रशिक्षित करके और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्रिय सहयोग के साथ । सरकार का यह भी दायित्व है कि वह दिव्यांगजनों के लिए विशेष रुप से बीमा स्कीमें बनायें । पुनर्वासः दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु योजनाएं बनानी होगी जिसमें स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं, शिक्षा और नियोजन के अवसर शामिल हो ।

वोइस टू दिव्यांग

12.
संस्कृति और आमोद-प्रमोदः

अधिनियम में उपबंध है कि सरकार को दिव्यागजनों के सांस्कृतिक जीवन जीने और आमोद-प्रमोद के कार्य कलापों में भाग लेने के लिए अधिकारों का संरक्षण करना होगा । सरकार को दिव्यांग कलाकारों और लेखकों को विशिष्ट सुविधायें और सहायता देनी होगी जिससे कि वे अपनी अभिरुचि और प्रतिभा को निर्बाध रुप से आगे बढ़ा सके । अन्य प्रयासों में यह सुनिश्चित करना होगा कि आमोद-प्रमोद के कमरे के अंदर अथवा बाहर होनेवाले सभी कार्यकलापों तक दिव्यांगजनों की पहुंच हो जिसमें दिव्यांगजन सरलता से भाग ले सके ।

13.
खेलकूद गतिविधियां

सरकार का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि दिव्यांगजन खेलकूद गतिविधियों में भाग ले सकें । खेल प्राधिकरण जिन स्कीमों और कार्यक्रमों को विकसित करें उनकी संरचना इस प्रकार हो कि उसमें दिव्यांगजन शामिल हो सके । सरकार को खेलकूद प्रतियोगिताएं विशेष रुप से दिव्यांगजनों के लिए आयोजित करनी होगी जिसमें विजेताओं का सम्यक रुप से पहचान मिले. जिससे उनमें उपलब्धि की भावना पैदा हो ।

14.
शिक्षा में विशेष सुविधाएं और लाभ

दिव्यांगजन अधिकार संबंधी यूएन कन्वेशन में यह व्यवस्था की गई है कि औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त राज्य पार्टियों को ब्रेल, वैकल्पिक लिपि, संसूचना और पुनर्विन्यास तथा चलन कौशल और सहयोगी सहायता और विश्वसनीयता सलाह लेना सीखने की सुविधा देनी होगी । संदर्भित दिव्यांगता वाले प्रत्येक बालक को निकटवर्ती स्कूल अथवा अपनी पसंद के विशेष स्कूल में निःशुल्क शिक्षा लेने का अधिकार दिया गया है । प्रत्येक बालक को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हो यह देखने का दायित्व सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारियों का होगा । से

सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्था और सरकार से वितीय सहायता प्राप्त कर रहे अन्य उच्च शिक्षा संस्थान संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए कुल स्थानों की संख्या का कम से कम 5 प्रतिशत स्थानों को आरक्षित रखेंगे । सभी उच्च शिक्षा संस्थानो में प्रवेश के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों की ऊपरी आयु

15.

आरक्षण और आरक्षण के लिए पदों की पहचान

सरकार का यह दायित्व है कि वह कम से कम कुल रिक्तियों का 4 प्रतिशत पद प्रत्येक पद वर्ग में संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रखेगी ।

(1) 1 प्रतिशत पद अंध-निम्नदृष्टि व्यक्तियों के लिए
(2) 1 प्रतिशत पद बधिर-श्रवण शक्ति में ह्रास व्यक्तियों के लिए
(3) 1 प्रतिशत पद चलन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए
(4) 1 प्रतिशत स्वपरायणता, बौद्धिक, विद्या दिव्यांगजनो, मानसिक रुग्णता, बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए

प्राइवेट सेक्टर में नियोजकों को प्रोत्साहन

सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे प्राइवेट सेक्टर में नियोजकों को उनके कार्यबल के 5 प्रतिशत तक संदर्भित दिव्यांगजनों को नियोजित करने के लिए प्रोत्साहन देंगे ।

ॐकार संप्रदाय के स्थापक और ॐकार चालीसा के सर्जक एवं ॐकार महामंडलेश्वर १००८ सद्गुरु ॐऋषि स्वामी 5 अक्टूबर,2022 विजया दशमी के पावन दिन तीर्थधाम प्रेरणापीठ के दर्शनार्थ पधारे थे। सनातन सतपंथ धर्म के **जगद्गुरु श्री ज्ञानेश्वरदासजी महाराज** के द्वारा **सद्गुरु ॐऋषि स्वामी** का अति विशेष सन्मान किया गया था। इस पावन अवसर पर **ट्रस्टी श्री हर्षदभाई** एवं श्रद्धालु भक्तो की भी उपस्थिति थी और उन्होंने इस दिव्य प्रसंग में उपस्थित होकर धन्यता की अनुभूति प्राप्त की थी।

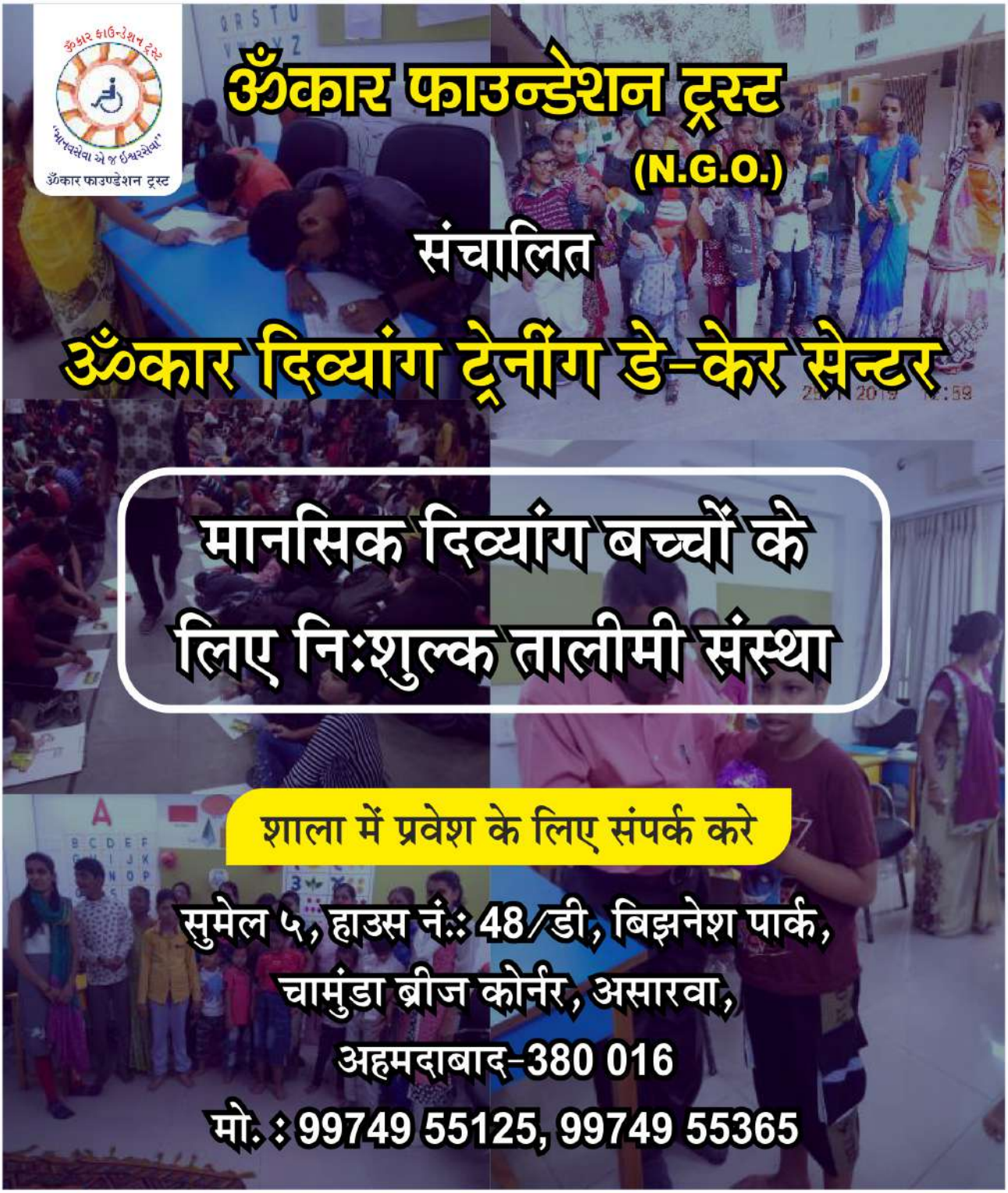
ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट
(N.G.O.)
संचालित
ॐकार दिव्यांग ट्रेनींग डे-केर सेन्टर
मानसिक दिव्यांग बच्चों के
लिए नि:शुल्क तालीमी संस्था
शाला में प्रवेश के लिए संपर्क करे
सुमेल ५, हाउस नं.: 48/डी, बिझनेश पार्क,
चामुंडा ब्रीज कोर्नर, असारवा,
अहमदाबाद-380 016
मो. : 99749 55125, 99749 55365